अनुदान संख्या 61 - श्रम और रोजगार मंत्रालय
GRANT No. 61 - MINISTRY OF LABOUR AND EMPLOYMENT

(हजार रुपयों में)
(In thousands of rupees)

			कुल अनुदान या विनियोग Total grant or appropriation	वास्तविक व्यय Actual expenditure	बचत - Saving -
राजस्वः	**Revenue:**				
प्रभारित-	*Charged -*		*2,00*	*..*	*- 2,00*
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि	*Amount surrendered during the year*				*शून्य Nil*
स्वीकृत-	Voted -				
मूल	Original	3283,62,00			
			3789,20,00	3489,42,74	-299,77,26
पूरक	Supplementary	505,58,00			
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि	Amount surrendered during the year				227,50,66
पूंजीगतः	**Capital:**				
स्वीकृत-	Voted -		746,00,00	522,47,35	-223,52,65
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि	Amount surrendered during the year				222,52,00

टीका और टिप्पणियां

1. अनुदान के राजस्व भाग के *प्रभारित* अंश में, *₹2.00 लाख* का *विनियोग* मुख्य शीर्ष "2230" - "श्रम और रोजगार" के अंतर्गत एक मामले में पूर्णतया अप्रयुक्त रहा।

2. अनुदान के राजस्व भाग के स्वीकृत अंश में, कुल बचतें (₹29977.26 लाख) अगस्त, 2011, नवम्बर, 2011 और मार्च, 2012 में प्राप्त किए गए ₹50558.00 लाख के पूरक अनुदान का 59 प्रतिशत और जो कुल स्वीकृत प्रावधान का 8 प्रतिशत थीं।

बचतें/अधिक व्यय निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत हुईं/हुआ:-

Notes and comments

1. In the *charged* portion of the revenue section of the grant, *appropriation* of *₹2.00 lakhs* remained wholly unutilised in one case under Major Head "2230" – "Labour and Employment".

2. In the voted portion of the revenue section of the grant, the overall savings (₹29977.26 lakhs) constituted 59 percent of the supplementary grants of ₹50558.00 lakhs obtained in August, 2011, November, 2011 and March, 2012 and 8 percent of the total sanctioned provision.

Savings/excess occurred under the following major heads:

शीर्ष	Head			कुल अनुदान Total grant	वास्तविक व्यय Actual expenditure	बचत - Saving -
						(लाख रुपयों में) (In lakhs of rupees)
मुख्य शीर्ष "2251"	Major Head "2251"					
सचिवालय - सामाजिक सेवाएं	Secretariat – Social Services					
मू.	O.	3360.00		3222.50	3069.63	-152.87
पु.	R.	– 137.50				
मुख्य शीर्ष "2230"	Major Head "2230"					
श्रम और रोजगार	Labour and Employment					
मू.	O.	288751.00				
पू.	S.	45501.00		336120.13	330478.26	-5641.87
पु.	R.	1868.13				
मुख्य शीर्ष "2552"	Major Head "2552"					
उत्तर पूर्वी क्षेत्र	North Eastern Areas					
मू.	O.	13000.00				
पू.	S.	5055.00		1.00	..	-1.00
पु.	R.	– 18054.00				
मुख्य शीर्ष "3601"	Major Head "3601"					
राज्य सरकारों को सहायता अनुदान	Grants–in–aid to State Governments					
मू.	O.	22104.00				
पू.	S.	2.00		15677.21	14462.75	-1214.46
पु.	R.	– 6428.79				
मुख्य शीर्ष "3602"	Major Head "3602"					
संघ राज्य क्षेत्र की सरकारों को सहायता अनुदान	Grants-in-aid to Union Territory Governments					
मू.	O.	169.00		151.00	28.41	-122.59
पु.	R.	-18.00				

(I) ₹23792.00 लाख का प्रावधान तैंतीस शीर्षों के अंतर्गत पूर्णतया अप्रयुक्त रहा; इनमें से ₹23003.00 लाख निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत लेखाबद्ध किए गए:-

(का) मुख्य शीर्ष "2230" -

(क) "श्रम" -

(i) "अनुसूचित जातियों के लिए विशेष योजना घटक - प्रवासी कामगारों के बीच एचआईवी/एड्स नियंत्रण परियोजना" - ₹211.00 लाख;

(ii) "जनजातीय क्षेत्र उप योजना - प्रवासी कामगारों के बीच एचआईवी/एड्स नियंत्रण परियोजना" - ₹107.00 लाख; और

(iii) "अन्य व्यय - प्रवासी कामगारों के बीच एचआईवी/एड्स नियंत्रण परियोजना" - ₹856.00 लाख।

उपर्युक्त तीन शीर्षों के अंतर्गत प्रावधान स्कीमों को शुरू न करने के कारण अप्रयुक्त रहा।

(ख) "रोजगार - अनुसूचित जाति के लिए विशेष योजना घटक - रोजगार कार्यालय" - ₹162.00 लाख रोजगार कार्यालय मिशन मोड परियोजना का अनुमोदन न किए जाने के कारण थे।

(खा) मुख्य शीर्ष "2552" -

(क) "श्रम - अनुसंधान और सांख्यिकी - अनुसंधान और सांख्यिकी के अंतर्गत योजना स्कीमें" -₹320.00 लाख ;

(ख) "श्रम - औद्योगिक संबंध" -

(i) "अन्य मदें" - ₹190.00 लाख;

(ii) "मुख्य श्रम आयुक्त (मध्य) और क्षेत्रीय श्रम आयुक्तों का सुदृढ़ीकरण" - ₹121.00 लाख;

(ग) "श्रम - बाल/महिला श्रमिकों की कार्य स्थितियों में सुधार - बाल श्रमिक प्रकोष्ठ" - ₹3730.00 लाख ;

(I) Provision of ₹23792.00 lakhs remained wholly unutilised under thirty three heads; of these ₹23003.00 lakhs accounted for under the following major heads: -

(A) Major Head "2230"

(a) "Labour" -

(i) "Special Component Plan For Scheduled Castes – Project of HIV / AIDS Control Among Migrant Workers" – ₹211.00 lakhs;

(ii) "Tribal Area Sub Plan – Project of HIV / AIDS Control Among Migrant Workers" – ₹107.00 lakhs; and

(iii) "Other Expenditure – Project of HIV / AIDS Control Among Migrant Workers" – ₹856.00 lakhs.

Provisions under the above three heads remained unutilised due to non-taking up of the schemes.

(b) "Employment - Special Component Plan For Scheduled Castes – Employment Exchanges" – ₹162.00 lakhs - due to non-approval of Employment Exchanges Mission Mode Project.

(B) Major Head "2552" –

(a) "Labour – Research and Statistics – Plan Schemes under Research and Statistics"– ₹320.00 lakhs;

(b) "Labour – Industrial Relations" –

(i) "Other Items" – ₹190.00 lakhs;

(ii) "Strengthening of Chief Labour Commissioner (Central) and R.L.Cs" – ₹121.00 lakhs;

(c) "Labour - Improvement in Working Condition of Child/Women Labour – Child Labour Cell" – ₹3730.00 lakhs;

(घ) ''श्रम शिक्षा - केंद्रीय कामगार शिक्षा बोर्ड को अनुदान'' - ₹132.00 लाख;

(ङ) ''प्रशिक्षण - शिल्पकारों तथा पर्यवेक्षकों का प्रशिक्षण - अन्य स्कीमें'' - ₹4403.00 लाख;

(च) ''श्रम - कार्य परिस्थितियां और सुरक्षा'' -

(i) ''कारखाना परामर्श सेवा महानिदेशालय की योजना स्कीमें'' - ₹166.00 लाख; और

(ii) ''खान सुरक्षा महानिदेशालय की योजना स्कीमें'' - ₹220.00 लाख।

उपर्युक्त आठ शीर्षों के अंतर्गत प्रावधान पूर्वोत्तर क्षेत्र और सिक्किम के लाभ से संबंधित परियोजनाओं/स्कीमों पर उपयोग के लिए आंशिक निधियों/निधियों का पुनर्विनियोग कार्यात्मक शीर्षों को किए जाने और शेष राशि अभ्यर्पित किए जाने के कारण अप्रयुक्त रहा।

(छ) ''श्रमिक - श्रमिक के लिए सामाजिक सुरक्षा - असंगठित क्षेत्र के कामगारों के लिए राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना/स्वास्थ्य बीमा'' - ₹8403.00 लाख (₹5055.00 लाख के पूरक अनुदान सहित) पूर्वोत्तर क्षेत्र और सिक्किम के लाभ से संबंधित परियोजनाओं/स्कीमों पर उपयोग के लिए आंशिक निधियों/निधियों का पुनर्विनियोग कार्यात्मक शीर्षों को किए जाने और सॉफ्टवेयर विकसित करने के लिए स्कीम को मूर्त रूप न दिए जाने की वजह से शेष राशि अभ्यर्पित किए जाने के कारण थे।

(गा) मुख्य शीर्ष ''3601'' - ''केन्द्रीय रूप से प्रायोजित योजना स्कीमों के लिए अनुदान - प्रशिक्षण अनुदान - शिल्पकारों और पर्यवेक्षकों का प्रशिक्षण - कौशल विकास पहल'' - ₹3982.00 लाख राज्य सरकारों से उपयोग प्रमाणपत्रों के प्राप्त न होने के कारण थे।

(II) मुख्य शीर्ष ''2251'' - ''सचिवालय - श्रम मंत्रालय'' के अंतर्गत ₹290.37 लाख की बचत (₹3360.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) पदों का सर्जन न किए जाने, रिक्त पदों को न भरे जाने और छुट्टी यात्रा रियायत तथा विज्ञापनों के लिए कम निधियों की आवश्यकता होने के कारण हुई।

(d) "Labour Education – Grant to Central Board for Worker's Education" – ₹132.00 lakhs;

(e) "Training – Training of Craftsmen and Supervisors – Other Schemes" – ₹4403.00 lakhs;

(f) "Labour – Working Conditions and Safety" –

(i) "Plan Schemes of Directorate General of Factory Advice Services (D.G.F.A.S.L.I)" - ₹166.00 lakhs; and

(ii) "Plan Schemes of the Directorate General Mines Safety (D.G.M.S.)" – ₹220.00 lakhs.

Provisions under the above eight heads remained unutilised due to re-appropriation of part funds/funds to functional heads for utilisation on projects/schemes for the benefit of North Eastern Region and Sikkim and surrender of the balance amount.

(g) "Labour – Social Security for Labour – Rashtriya Swasthya Bima Yojana/Health Insurance for Unorganised Sector Workers" – ₹8403.00 lakhs (including supplementary grant of ₹5055.00 lakhs) - due to re-appropriation of part funds to functional heads for utilisation on projects/schemes for the benefit of North Eastern Region and Sikkim and surrender of the balance amount owing to non-materialization of the scheme for development of software.

(C) Major Head "3601" – "Grants for Centrally Sponsored Plan Schemes - Training Grants – Training of Craftsmen and Supervisors - Skill Development Initiative" – ₹3982.00 lakhs - due to non-receipt of utilization certificates from the States Governments.

(II) Under Major Head "2251" – "Secretariat – Ministry of Labour" – saving of ₹290.37 lakhs (against the sanctioned provision of ₹3360.00 lakhs) was due to non-creation of posts, non-filling up of vacant posts and requirement of less funds towards leave travel concession and advertisements.

(III) मुख्य शीर्ष "2230" के अंतर्गत बचतें निम्नलिखित शीर्षों के अंतर्गत हुईं:-

(का) "श्रम" -

(क) "औद्योगिक संबंध - मुख्य श्रम आयुक्त (मध्य) और क्षेत्रीय श्रम आयुक्त" - ₹348.04 लाख की बचत (₹3756.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) पदों का सर्जन न किए जाने, रिक्त पदों को न भरे जाने, किराए और छुट्टी यात्रा रियायत के कम दावों के प्राप्त होने के कारण हुई।

(ख) "कार्य परिस्थितियां और सुरक्षा - अनुसंधान और प्रशिक्षण" - ₹142.30 लाख की बचत (₹1074.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) रिक्त पदों को न भरे जाने, छुट्टी यात्रा रियायत, शिक्षा-शुल्क, बाह्य स्रोतों से लगाए गए कार्मिकों, आधिकारिक दौरों के लिए कम दावों के प्राप्त होने और कार्यालय उपस्करों की अधिप्राप्ति के लिए कुछ प्रस्तावों को अंतिम रूप न दिए जाने के कारण हुई।

(ग) "बीड़ी कामगार कल्याण निधि - संशोधित एकीकृत आवास स्कीम, 2005" - ₹180.60 लाख की बचत (₹5200.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) अपेक्षित औपचारिकताओं को समय पर पूरा न किए जाने की वजह से स्कीम का अनुमोदन विलम्ब से होने के कारण हुई।

(घ) "बाल/महिला श्रमिकों की कार्य स्थितियों में सुधार - बाल श्रमिक प्रकोष्ठ" - ₹13717.00 लाख की बचत (₹24468.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुई; और

(ङ) "अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना" -

(i) "बाल श्रमिक प्रकोष्ठ" - ₹3696.23 लाख की बचत (₹6043.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुई।

उपर्युक्त दो शीर्षों के अंतर्गत बचतें राष्ट्रीय बाल श्रमिक परियोजना स्कीम पर वित्त मंत्रालय द्वारा व्यय वित्त समिति ज्ञापन को अंतिम रूप विलम्ब से दिए जाने के कारण हुई।

(III) Under Major Head "2230" – savings occurred under the following heads: -

(A) " Labour" –

(a) "Industrial Relations – Chief Labour Commissioners (Central) and Regional Labour Commissioners" – saving of ₹348.04 lakhs (against the sanctioned provision of ₹3756.00 lakhs) was due to non-creation of posts, non-filling up of vacant posts, receipt of less claims towards rent and leave travel concession.

(b) "Working Conditions and Safety – Research and Training" – saving of ₹142.30 lakhs (against the sanctioned provision of ₹1074.00 lakhs) was due to non filling up of vacant posts, receipt of less claims towards leave travel concession, tuition fees, outsourcing staff, official tours and non-finalization of some of the proposals for procurement of office equipments.

(c) "Beedi Workers Welfare Fund – Revised Integrated Housing Scheme, 2005" – saving of ₹180.60 lakhs (against the sanctioned provision of ₹5200.00 lakhs) was due to late approval of the scheme owing to non-fulfillment of the required formalities in time.

(d) "Improvement in Working Condition of Child/ Women Labour – Child Labour Cell" – saving of ₹13717.00 lakhs (against the sanctioned provision of ₹24468.00 lakhs); and

(e) "Special Component Plan for Scheduled Castes" –

(i) "Child Labour Cell" – saving of ₹3696.23 lakhs (against the sanctioned provision of ₹6043.00 lakhs).

Savings under the above two heads were due to delay in finalization of Expenditure Finance Committee Memorandum on National Child Labour Project Scheme by Ministry of Finance.

(ii) ''अनुसंधान और सांख्यिकी के अंतर्गत योजना स्कीमें'' - ₹360.50 लाख की बचत (₹518.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुई;

(iii) ''कारखाना परामर्श सेवा महानिदेशालय की योजना स्कीमें'' - ₹219.72 लाख की बचत (₹268.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुई;

(iv) ''खान सुरक्षा महानिदेशालय की योजना स्कीमें'' - ₹ 242.60 लाख की बचत (₹356.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुई;

(च) ''जनजातीय क्षेत्र उप योजना'' -

(i) ''अनुसंधान और सांख्यिकी के अंतर्गत योजना स्कीमें'' - ₹ 163.66 लाख की बचत (₹262.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुई;

(ii) ''कारखाना परामर्श सेवा महानिदेशालय की योजना स्कीमें'' - ₹131.80 लाख की बचत (₹136.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुई; और

(iii) ''खान सुरक्षा महानिदेशालय की योजना स्कीमें'' - ₹117.24 लाख की बचत (₹180.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुई।

उपर्युक्त छह शीर्षों के अंतर्गत बचतें दिशा निर्देशों को अंतिम रूप दिए जाने में विलंब होने के कारण हुईं।

(iv) ''बाल श्रमिक प्रकोष्ठ'' - ₹1890.15 लाख की बचत (₹3059.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) राष्ट्रीय बाल श्रमिक परियोजना स्कीम पर वित्त मंत्रालय द्वारा व्यय वित्त समिति ज्ञापन को अंतिम रूप विलंब से दिए जाने के कारण हुई।

(ख) ''रोजगार'' -

(क) ''निदेशन और प्रशासन - रोजगार एवं प्रशिक्षण महानिदेशालय'' - ₹116.32 लाख की बचत (₹1801.28

(ii) "Plan Schemes under Research and Statistics" – saving of ₹360.50 lakhs (against the sanctioned provision of ₹518.00 lakhs);

(iii) "Plan Schemes of Directorate General of Factory Advice Services (D.G.F.A.S.L.I.)" – saving of ₹219.72 lakhs (against the sanctioned provision of ₹268.00 lakhs);

(iv) "Plan Schemes of the Directorate General of Mines Safety (D.G.M.S.)" – saving of ₹242.60 lakhs (against the sanctioned provision of ₹356.00 lakhs);

(f) "Tribal Area Sub Plan" –

(i) "Plan Schemes under Research and Statistics" – saving of ₹163.66 lakhs (against the sanctioned provision of ₹262.00 lakhs);

(ii) "Plan Schemes of Directorate General of Factory Advice Services (D.G.F.A.S.L.I.)" – saving of ₹131.80 lakhs (against the sanctioned provision of ₹136.00 lakhs) ; and

(iii) "Plan Schemes of the Directorate General of Mines Safety (D.G.M.S.)" – saving of ₹117.24 lakhs (against the sanctioned provision of ₹180.00 lakhs).

Savings under the above six heads were due to delay in finalization of guidelines.

(iv) "Child Labour Cell" – saving of ₹1890.15 lakhs (against the sanctioned provision of ₹3059.00 lakhs) was due to delay in finalization of Expenditure Finance Committee Memorandum on National Child Labour Project Scheme by the Ministry of Finance.

(B) "Employment" –

(a) "Direction and Administration – Directorate General of Employment and Training" – saving

लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) रिक्त पदों को न भरे जाने और दौरों तथा व्यावसायिक शुल्कों के लिए कम निधियों की आवश्यकता होने के कारण हुई।

(ख) ''रोजगार सेवाएं - रोजगार कार्यालय'' - ₹664.12 लाख की बचत (₹672.52 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) रोजगार कार्यालय मिशन मोड परियोजना को अनुमोदित न किए जाने के कारण हुई।

(गा) ''प्रशिक्षण'' -

(क) ''औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान - 1396 सरकारी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों का सार्वजनिक निजी भागीदारी के माध्यम से उन्नयन'' - ₹280.36 लाख की बचत (₹450.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) सिंगापुर सरकार के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए जाने के स्थगन की वजह से प्रभारों की अदायगी न होने, रिक्त पदों को न भरे जाने और राष्ट्रीय सूचना-विज्ञान केन्द्र कार्यालय के नवीकरण के स्थगन के कारण हुई।

(ख) ''अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना'' -

(i) ''व्यावसायिक प्रशिक्षण परियोजनाएं'' - ₹117.08 लाख की बचत (₹121.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) कुछ स्कीमों के जारी न रह पाने और नई स्कीमों के कार्यान्वयन में विलम्ब होने के कारण हुई।

(ii) ''महिलाओं के लिए व्यावसायिक प्रशिक्षण कार्यक्रम'' - ₹490.19 लाख की बचत (₹729.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुई; और

(ग) ''जनजातीय क्षेत्र उप योजना - महिलाओं के लिए व्यावसायिक प्रशिक्षण कार्यक्रम'' - ₹280.51 लाख की बचत (₹369.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुई।

उपर्युक्त दो शीर्षों के अंतर्गत बचतें अनुसूचित जाति के प्रशिक्षुओं की संख्या कम होने और संविदा/अतिथि संबंधी सुविधाओं के लिए कम निधियों की आवश्यकता होने के कारण हुईं।

of ₹116.32 lakhs (against the sanctioned provision of ₹1801.28 lakhs) was due to non-filling up of vacant posts and requirement of less funds towards tour and professional fees.

(b) "Employment Services – Employment Exchanges" – saving of ₹664.12 lakhs (against the sanctioned provision of ₹672.52 lakhs) was due to non-approval of Employment Exchanges Mission Mode Project.

(C) "Training" –

(a) "Industrial Training Institutes (I.T.I.) – Upgradation of 1396 Govt. I.T.Is through Public Private Partnership" – saving of ₹ 280.36 lakhs (against the sanctioned provision of ₹450.00 lakhs) was due to non-payment of charges owing to postponement of signing of Memorandum of Understanding with Singapore Government, non-filling up of vacant posts and postponement of renovation of National Information Center Office.

(b) "Special Component Plan For Scheduled Castes" –

(i) "Vocational Training Projects" – saving of ₹117.08 lakhs (against the sanctioned provision of ₹121.00 lakhs) was due to discontinuing of some schemes and delay in implementation of new schemes.

(ii) "Vocational Training Programme for Women" – saving of ₹490.19 lakhs (against the sanctioned provision of ₹729.00 lakhs); and

(c) "Tribal Area Sub Plan – Vocational Training Programme for Women" – saving of ₹280.51 lakhs (against the sanctioned provision of ₹369.00 lakhs).

Savings under the above two heads were due to less number of Schedule Tribe trainees and requirement of less funds towards contract/guest facilities.

(घ) ''अन्य व्यय'' -

(i) ''केन्द्र और राज्य सरकारों द्वारा उपलब्ध कराई जाने वाली व्यावसायिक प्रशिक्षण सेवाओं में सुधार और उन्हें बेहतर बनाने संबंधी बाह्य सहायता प्राप्त परियोजना'' - ₹187.95 लाख की बचत (₹1.00 लाख के सांकेतिक पूरक अनुदान सहित ₹2001.00 लाख के कुल स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) परियोजना के प्रमुख के प्रशिक्षण के अनुमोदन में विलम्ब होने, आवेदन के कार्यान्वयन / लेखापरीक्षा के लिए परामर्शदाताओं को काम पर रखने में विलम्ब होने, प्रशिक्षण के लिए राज्यों द्वारा कम संख्या में अनुदेशकों को भेजे जाने और विदेश अध्ययन को अंतिम रूप न दिए जाने के कारण हुई।

(ii) ''कौशल विकास पहल'' - ₹556.68 लाख की बचत (₹10000.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) राज्य सरकारों से उपयोग प्रमाणपत्रों के प्राप्त न होने के कारण हुई।

(IV) मुख्य शीर्ष ''3601'' - ''केन्द्रीय रूप से प्रायोजित योजना स्कीमों के लिए अनुदान'' के अंतर्गत बचतें निम्नलिखित शीर्षों के अंतर्गत हुईं:-

(का) ''अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना - प्रशिक्षण अनुदान - शिल्पकारों और पर्यवेक्षकों का प्रशिक्षण''- ₹4579.94 लाख की बचत (₹6237.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुई; और

(खा) ''जनजातीय क्षेत्र उप योजना - प्रशिक्षण अनुदान - शिल्पकारों और पर्यवेक्षकों का प्रशिक्षण'' - ₹968.67 लाख की बचत (₹3157.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुई।

उपर्युक्त दो शीर्षों के अंतर्गत बचतें जनशक्ति की कमी होने और स्कीम के कार्यान्वयन के लिए मानदण्डों को अंतिम रूप दिए जाने में विलम्ब होने के कारण हुईं।

(V) मुख्य शीर्ष ''3602'' - ''केन्द्रीय रूप से प्रायोजित योजना स्कीमों के लिए अनुदान - प्रशिक्षण - औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान - केन्द्र और राज्य सरकारों द्वारा उपलब्ध कराई जाने वाली व्यावसायिक प्रशिक्षण सेवाओं में सुधार और उन्हें बेहतर बनाने संबंधी बाह्य सहायता प्राप्त परियोजना'' के अंतर्गत ₹121.59 लाख की बचत (₹150.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) संघ राज्य क्षेत्रों से कम प्रस्तावों के प्राप्त होने के कारण हुई।

(d) "Other Expenditure" –

(i) "Externally Aided Project for Reforms and Improvement in Vocational Training services rendered by Central and State Governments" - saving of ₹187.95 lakhs (against the total sanctioned provision of ₹2001.00 lakhs including token supplementary grant of ₹1.00 lakh) was due to delay in approval for training of principal of project, delay in hiring of consultants for implementation/audit of application, less number of instructor sent by States for training and non-finalization of foreign study.

(ii) "Skill Development Initiative" – saving of ₹556.68 lakhs (against the sanctioned provision of ₹10000.00 lakhs) was due to non-receipt of utilization certificates from the State Governments.

(IV) Under Major Head "3601" – "Grants for Centrally Sponsored Plan Schemes" - savings occurred under the following heads:-

(A) "Special Component Plan for Scheduled Castes – Training Grants – Training of Craftsmen and Supervisors" – saving of ₹4579.94 lakhs (against the sanctioned provision of ₹6237.00 lakhs); and

(B) "Tribal Area Sub Plan – Training Grants – Training of Craftsmen and Supervisors" – saving of ₹968.67 lakhs (against the sanctioned provision of ₹3157.00 lakhs).

Savings under the above two heads were due to shortage of manpower and delay in finalization of criteria for implementation of the scheme.

(V) Under Major Head "3602" – "Grants for Centrally Sponsored Plan Schemes – Training - Industrial Training Institute - Externally Aided Project for Reforms and Improvement in Vocational Training services rendered by Central and State Governments" – saving of ₹121.59 lakhs (against the sanctioned provision of ₹150.00 lakhs) was due to receipt of less proposals from Union Territories.

(VI) सात शीर्षों के अंतर्गत ₹504.76 लाख की बचत हुई, जो प्रत्येक में ₹50.00 लाख से अधिक परंतु ₹100.00 लाख से कम और स्वीकृत प्रावधान का 10 प्रतिशत से अधिक से 91 प्रतिशत तक थीं।

3.(I) उपर्युक्त बचतें पुनर्विनियोग द्वारा प्रावधान को बढ़ाने के लिए आंशिक रूप से (₹24282.06 लाख) प्रयुक्त हो गईं जैसा कि निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत ₹45503.00 लाख का पूरक अनुदान प्राप्त करते समय संसद को पहले ही सूचित कर दिया गया था:-

(का) मुख्य शीर्ष "2230" -

(क) "श्रमिक" -

(i) "श्रमिकों के लिए सामाजिक सुरक्षा - असंगठित क्षेत्र के कामगारों के लिए सामाजिक सुरक्षा स्कीम" - ₹15478.65 लाख। तथापि, वास्तविक अधिक व्यय ₹15429.79 लाख था।

(ii) "श्रमिक शिक्षा - केन्द्रीय कामगार शिक्षा बोर्ड को अनुदान" - ₹1328.00 लाख। तथापि, वास्तविक अधिक व्यय ₹1326.99 लाख था।

(iii) "अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना - असंगठित क्षेत्र के कामगारों के लिए सामाजिक सुरक्षा स्कीम" - ₹2100.00 लाख।

(iv) "जनजातीय क्षेत्र उप योजना - असंगठित क्षेत्र के कामगारों के लिए सामाजिक सुरक्षा स्कीम" - ₹1551.00 लाख।

(ख) "प्रशिक्षण" -

(i) "अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना - कौशल विकास पहल" - ₹1200.00 लाख। तथापि, वास्तविक अधिक व्यय ₹600.00 लाख था।

(ii) "जनजातीय क्षेत्र उप योजना - कौशल विकास पहल" - ₹800.00 लाख। तथापि, वास्तविक अधिक व्यय ₹400.00 लाख था।

(खा) मुख्य शीर्ष "3601" - "केन्द्रीय रूप से प्रायोजित योजना स्कीमों के लिए अनुदान - प्रशिक्षण अनुदान - शिल्पकारों और पर्यवेक्षकों का प्रशिक्षण - अन्य स्कीमें" - ₹1824.41 लाख। तथापि, वास्तविक अधिक व्यय ₹1388.37 लाख था।

(VI) Under seven heads savings of ₹504.76 lakhs occurred, each exceeding ₹50.00 lakhs but not exceeding ₹100.00 lakhs and constituting more than 10 percent to 91 percent of the sanctioned provision.

3.(I) The above savings were partly (₹24282.06 lakhs) utilised for augmenting the provision by re-appropriation as already reported to Parliament while obtaining supplementary grant of ₹45503.00 lakhs under the following major heads:-

(A) Major Head "2230" –

(a) "Labour" –

(i) "Social Security for Labour – Social Security for Unorganized sector workers Scheme" – ₹15478.65 lakhs. Actual excess, however, was ₹15429.79 lakhs.

(ii) "Labour Education – Grant to Central Board for Worker's Education" – ₹1328.00 lakhs. Actual excess, however, was ₹1326.99 lakhs.

(iii) "Special Component Plan for Scheduled Castes – Social Security for Unorganised sector workers Scheme" – ₹2100.00 lakhs.

(iv) "Tribal Area Sub Plan - Social Security for Unorganised sector workers Scheme" – ₹1551.00 lakhs.

(b) "Training"-

(i) "Special Component Plan for Scheduled Castes - Skill Development Initiative" - ₹1200.00 lakhs. Actual excess, however, was ₹600.00 lakhs.

(ii) "Tribal Area Sub Plan - Skill Development Initiative" - ₹800.00 lakhs. Actual excess, however, was ₹400.00 lakhs.

(B) Major Head "3601" - "Grants for Centrally Sponsored Plan Schemes - Training Grants – Training of Craftsmen and Supervisors – Other Schemes" – ₹1824.41 lakhs. Actual excess, however, was ₹1388.37 lakhs.

(II) बचतें निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत अधिक व्यय द्वारा भी प्रतिसंतुलित हो गईं :-

(का) मुख्य शीर्ष "2230" -

(क) "श्रमिक" -

(i) "अनुसंधान और सांख्यिकी - अनुसंधान और सांख्यिकी के अंतर्गत योजना स्कीमें" - ₹135.14 लाख का अधिक व्यय (₹1575.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) पूर्वोत्तर क्षेत्र और सिक्किम के लाभ से संबंधित परियोजनाओं/स्कीमों पर उपयोग के लिए निधियों का पुनर्विनियोग मुख्य शीर्ष "2552" से कार्यात्मक शीर्षों को किए जाने और रोजगार सर्वेक्षण संचालित करने के लिए अधिक व्यावसायिकों को भाड़े पर रखने के कारण हुआ।

(ii) "औद्योगिक संबंध - मुख्य श्रम आयुक्त (मध्य) और क्षेत्रीय श्रम आयुक्तों का सुदृढ़ीकरण" - ₹203.60 लाख का अधिक व्यय (₹294.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) पूर्वोत्तर क्षेत्र और सिक्किम के लाभ से संबंधित परियोजनाओं/स्कीमों पर उपयोग के लिए निधियों का पुनर्विनियोग मुख्य शीर्ष "2552" से कार्यात्मक शीर्षों को किए जाने और वेतन तथा भत्तों के लिए अतिरिक्त निधियों की आवश्यकता होने के कारण हुआ।

(iii) "कार्य स्थितियां और सुरक्षा" -

(1) "कारखाना परामर्श सेवा महानिदेशालय की योजना स्कीमें" - ₹101.84 लाख का अधिक व्यय (₹155.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) संशोधित आश्वासित करियर प्रोन्नयन स्कीम, कार्यालय उपस्करों की अधिप्राप्ति तथा नगरपालिका के बिलों के समाशोधन के लिए अतिरिक्त निधियों की आवश्यकता होने के कारण हुआ।

(2) "खान सुरक्षा महानिदेशालय (मुख्य)" - ₹122.71 लाख का अधिक व्यय (₹3155.45 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) संशोधित आश्वासित करियर प्रोन्नयन स्कीम और किराया के बकाया तथा

(II) Savings were also offset by excess under the following major heads:-

(A) Major Head "2230" -

(a) "Labour" -

(i) "Research and Statistics – Plan Schemes under Research and Statistics" – excess of ₹135.14 lakhs (against the sanctioned provision of ₹1575.00 lakhs) was due to re-appropriation of funds from Major Head "2552" to functional heads for utilization on projects/schemes for the benefit of North Eastern Region and Sikkim and hiring of more professionals for conducting employment survey.

(ii) "Industrial Relations – Strengthening of Chief Labour Commissioner (Central) and Regional Labour Commissioners" – excess of ₹203.60 lakhs (against the sanctioned provision of ₹294.00 lakhs) was due to re-appropriation of funds from Major Head "2552" to functional heads for utilization on projects/schemes for the benefit of North Eastern Region and Sikkim and requirement of additional funds towards pay and allowances.

(iii) "Working Conditions and Safety" –

(1) "Plan Schemes of Directorate General of Factory Advice Services (D.G.F.A.S.L.I)" – excess of ₹101.84 lakhs (against the sanctioned provision of ₹155.00 lakhs) was due to requirement of additional funds towards grant of modified assured career progression scheme, procurement of office equipments and clearance of bills of Municipality.

(2) "Director General of Mines Safety (Main)" – excess of ₹122.71 lakhs (against the sanctioned provision of ₹3155.45 lakhs) was due to

टेलीफोन बिलों के समाशोधन के लिए अतिरिक्त निधियों की आवश्यकता होने के कारण हुआ।

requirement of additional funds towards modified assured carrier progression scheme and clearance of rent arrear and telephone bills.

(iv) ''अंतर्राष्ट्रीय सहयोग - अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन को भारत का अंशदान'' - ₹147.84 लाख का अधिक व्यय (₹950.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन को वार्षिक अंशदान करने पर विनिमय दर में अत्यधिक वृद्धि होने के कारण हुआ।

(iv) "International Co-operation – India's Contribution to the I.L.O." – excess of ₹147.84 lakhs (against the sanctioned provision of ₹950.00 lakhs) was due to intense increase of exchange rate towards annual contribution to International Labour Organisation.

(ख) ''प्रशिक्षण - शिल्पकारों और पर्यवेक्षकों का प्रशिक्षण'' -

(b) "Training - Training of Craftsmen and Supervisors" –

(i) ''शिल्प अनुदेशकों का प्रशिक्षण'' - ₹109.85 लाख का अधिक व्यय (₹2584.74 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) संशोधित आश्वासित करियर प्रोन्नयन स्कीम के लिए और नगरपालिका करों की बकाया देयताओं का समाशोधन करने के लिए अतिरिक्त निधियों की आवश्यकता होने के कारण हुआ।

(i) "Training of Craft Instructors" – excess of ₹109.85 lakhs (against the sanctioned provision of ₹2584.74 lakhs) was due to requirement of additional funds towards grant of modified assured career progression scheme and clearance of outstanding liabilities of Municipal taxes.

(ii) ''महिलाओं के लिए व्यावसायिक प्रशिक्षण कार्यक्रम'' - ₹381.49 लाख का अधिक व्यय (₹2260.37 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) संशोधित आश्वासित करियर प्रोन्नयन स्कीम के लागू होने पर उच्चतम न्यायालय के आदेशानुसार अलग-अलग राज्य सरकारों द्वारा सेवा कर जमा करने, चिकित्सा प्रतिपूर्ति के अधिक बिलों और केंद्रीय लोक निर्माण विभाग को अनुरक्षण प्रभारों की अदायगी के लिए अतिरिक्त निधियों की आवश्यकता होने के कारण हुआ।

(ii) "Vocational Training Programme for Women" – excess of ₹381.49 lakhs (against the sanctioned provision of ₹ 2260.37 lakhs) was due to requirement of additional funds towards depositing of service tax to respective State Governments as per orders of the Supreme Court on grant of modified assured career progression scheme, more bills of medical reimbursement and payment of maintenance charges to Central Public Works Department.

(खा) मुख्य शीर्ष ''3601'' - ''केंद्रीय रूप से प्रायोजित योजना स्कीमों के लिए अनुदान - श्रमिक - बंधुआ मजदूर का पुनर्वास - बंधुआ मजदूर का पुनर्वास'' - ₹499.99 लाख का अधिक व्यय (₹66.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) बंधुआ मजदूर के सर्वेक्षण के लिए अतिरिक्त निधियों की आवश्यकता होने के कारण हुआ।

(B) Major Head – "3601" - "Grants for Centrally Sponsored Plan Schemes - Labour – Rehabilitation of Bonded Labour - Rehabilitation of Bonded Labour" – excess of ₹499.99 lakhs (against the sanctioned provision of ₹66.00 lakhs) was due to requirement of additional funds towards survey of bonded labour.

(III) तीन शीर्षों के अंतर्गत ₹218.79 लाख का अधिक व्यय हुआ, जो प्रत्येक में ₹50.00 लाख से अधिक परन्तु ₹100.00 लाख से कम और स्वीकृत प्रावधान का 13 प्रतिशत से 59 प्रतिशत तक था।

(III) Under three heads excess of ₹218.79 lakhs occurred, each exceeding ₹50.00 lakhs but not exceeding ₹100.00 lakhs and constituting 13 percent to 59 percent of the sanctioned provision.

4. अनुदान के पूंजीगत भाग में, बचतें निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत हुईं:-

4. In the capital section of the grant, savings occurred under the following major heads: -

(लाख रुपयों में)
(In lakhs of rupees)

शीर्ष	Head		कुल अनुदान Total grant	वास्तविक व्यय Actual expenditure	बचत - Saving -
मुख्य शीर्ष "6250" अन्य सामाजिक सेवाओं के लिए कर्ज	Major Head "6250" Loans for Other Social Services				
मू.	O.	72000.00	51750.00	51750.00	..
पु.	R.	– 20250.00			
मुख्य शीर्ष "6552" उत्तर पूर्वी क्षेत्रों के लिए कर्ज	Major Head "6552" Loans for North Eastern Areas				
मू.	O.	2000.00	..	..	..
पु.	R.	– 2000.00			

(I) ₹2000.00 लाख का प्रावधान मुख्य शीर्ष "6552" - "उत्तर पूर्वी क्षेत्रों के लिए कर्ज - औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों की संस्थान प्रबंधन समिति को कर्ज - 1396 सरकारी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों का सार्वजनिक निजी भागीदारी के माध्यम से उन्नयन" के अंतर्गत एक मामले में पूर्वोत्तर क्षेत्र और सिक्किम के लाभ से संबंधित परियोजनाओं/स्कीमों पर उपयोग के लिए आंशिक निधियों का पुनर्विनियोग कार्यात्मक शीर्षों को किए जाने और शेष राशि अभ्यर्पित किए जाने के कारण पूर्णतया अप्रयुक्त रहा।

(I) Provision of ₹ 2000.00 lakhs remained wholly unutilised in one case under Major Head "6552" – "Loans for North Eastern Areas – Loans to Institute Management Committee (IMC) of the ITIs – Upgradation of 1396 Govt. I.T.I.'s through Public Private Partnership" – due to re-appropriation of part funds to functional heads for utilization on projects/schemes for the benefit of North Eastern Region and Sikkim and surrender of the balance amount.

(II) मुख्य शीर्ष "6250" - "अन्य - औद्योगिक प्रशिक्षण सस्थानों की संस्थान प्रबंधन समिति को कर्ज - 1396 सरकारी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों का सार्वजनिक निजी भागीदारी के माध्यम से उन्नयन" - ₹ 20250.00 लाख की बचत (₹72000.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) राज्य सरकारों से कम संख्या में पूर्ण प्रस्तावों के प्राप्त होने के कारण हुई।

(II) Under Major Head "6250" – "Others - Loans to Institute Management Committee (IMC) of the ITIs - Upgradation of 1396 Govt. I.T.I.s through Public Private Partnership" – saving of ₹20250.00 lakhs (against the sanctioned provision of ₹72000.00 lakhs) was due to receipt of less number of complete proposals from State Governments.

5. अभ्रक खान श्रमिक कल्याण निधि:-

यह निधि अभ्रक खानों में नियोजित श्रमिकों के कल्याण का संवर्धन करने के उपायों के वित्तपोषण के लिए गठित की गई थी। अभ्रक के निर्यात के लिए लगाए गए सीमा शुल्क को संग्रहण प्रभारों को घटाने के बाद निधि में जमा किया जाता है।

5. Mica Mines Labour Welfare Fund:-

The Fund was constituted for financing measures for promotion of Welfare of Labour employed in Mica Mines. Custom duties levied on export of Mica are credited to the Fund after deducting collection charges.

वर्ष 2011-2012 के लिए निधि का लेखा निम्न प्रकार था:-

The Account of the Fund for 2011 – 2012 was as follows: -

(हजार रुपयों में)
(In thousands of rupees)

अथशेष	Opening Balance	6,52,89
प्राप्तियां	Receipts	2,00,21
अदायगियां	Payments	1,91,82
अंतशेष	Closing Balance	6,61,28

6. लौह अयस्क, मैंगनीज अयस्क और क्रोम अयस्क खान श्रमिक कल्याण निधि:-

6. Iron Ore Mines, Manganese Ore and Chrome Ore Mines Labour Welfar Fund:-

यह निधि मूल रूप से लौह अयस्क खान श्रमिक और कल्याण उपकर अधिनियम, 1961 के अधीन राज्य सरकारों और खान प्रबंधकों की सहायता करने के लिए लौह अयस्क खनिजकों की जीवन-यापन स्थितियों को सुधारने के लिए गठित की गई थी। इस अधिनियम को लौह अयस्क खान और मैंगनीज अयस्क खान श्रमिक कल्याण निधि अधिनियम, 1976 जो 1 सितम्बर, 1978 से प्रवृत्त है, द्वारा प्रतिस्थापित कर दिया गया है। लौह अयस्क खान और मैंगनीज अयस्क खान श्रमिक कल्याण संगठन इस निधि में से श्रमिकों और उनके आश्रितों को सुविधाएं प्रदान करता है। इस निधि का वित्तपोषण उपकर लगाकर किया जाता है।

The Fund was originally constituted under the Iron Ore Mines Labour and Welfare Cess Act, 1961 to help the State Governments and the Mines Management to improve the living conditions of the Iron Ore Miners. This Act has been replaced by Iron Ore Mines and Manganese Ore Mines Labour Welfare Fund Act, 1976 which came into force with effect from 1St September, 1978. The Iron Ore Mines and Manganese Ore Mines Labour Welfare Organisation provides for Welfare amenities out of this fund to the workers and their dependents. This Fund is financed by the levy of cess.

वर्ष 2011-2012 के लिए निधि का लेखा निम्न प्रकार था:-

The Account of the Fund for 2011 – 2012 was as follows: -

(हजार रुपयों में)
(In thousands of rupees)

अथशेष	Opening Balance	164,51,38*
प्राप्तियां	Receipts	12,02,86
अदायगियां	Payments	12,34,44
अंतशेष	Closing Balance	164,19,80

*प्रारंभिक शेष वित्त लेखों के साथ समाधान किए जाने के कारण पिछले वर्ष के आंकड़ों से भिन्न है।

*Opening balance differs from last year's due to reconciliation with Finance Accounts.

7. *बीड़ी कामगार कल्याण निधि:-*

यह निधि बीड़ी कामगार कल्याण निधि अधिनियम, 1976 के अधीन बीड़ी विनिर्माण में लगे व्यक्तियों तथा उनके आश्रितों के लिए कल्याणकारी क्रियाकलापों का वित्तपोषण करने के लिए गठित की गई थी। बीड़ी कर्मकार कल्याण उपकर अधिनियम, 1976 के अधीन बीड़ियों के विनिर्माण के संबंध में किसी भी प्रयोजन के लिए भांडागारों से किसी व्यक्ति को दिए गए तम्बाकू पर उपकर लगाकर निधि को वित्तपोषित किया जाता था। इस उपकर को वित्त अधिनियम, 1979 के अधीन मार्च, 1979 से हटा दिया गया था परन्तु बीड़ी कर्मकार कल्याण उपकर (संशोधन अधिनियम, 1981) के अंतर्गत इसे 1 जनवरी, 1982 से फिर से लगा दिया गया है।

वर्ष 2011-2012 के लिए निधि का लेखा निम्न प्रकार था:-

7. *Beedi Workers Welfare Fund: -*

The Fund was constituted under the Beedi Workers Welfare Fund Act, 1976 for financing welfare activities of persons and their dependents engaged in Beedi manufacturing. The fund was financed by the levy of cess collected under Beedi Workers Cess Act, 1976 on tobacco issued to the persons from warehouses for any purpose in connection with manufacture of Beedi. This cess was abolished with effect from March, 1979 under the Finance Act, 1979 but was levied again with effect from Ist January, 1982 under the Beedi Workers Welfare Cess (Amendment Act, 1981).

The Account of the Fund for 2011 – 2012 was as follows: -

(हजार रुपयों में)
(In thousands of rupees)

अथशेष	Opening Balance	-219,25,51*
प्राप्तियां	Receipts	163,14,28
अदायगियां	Payments	149,63,70
अंतशेष	Closing Balance	-205,74,93

* प्रारंभिक शेष वित्त लेखों के साथ समाधान किए जाने के कारण पिछले वर्ष के आंकड़ों से भिन्न है।

*Opening balance differs from last year's due to reconciliation with Finance Accounts.

8. *चूना पत्थर और डोलोमाइट खान श्रमिक कल्याण निधि:-*

यह निधि चूना पत्थर और डोलोमाइट खान श्रमिक कल्याण निधि अधिनियम, 1972 और उसके अंतर्गत बनाए गए नियमों के अधीन गठित की गई थी, जिसमें बेचे गए या किसी कारखाने के दखलकार को अन्य रूप से दिए गए किसी खान में उत्पादित चूना पत्थर और डोलोमाइट पर उपकर के उद्ग्रहण और संग्रहण की व्यवस्था है जो कि खान मालिक द्वारा स्वयं अपनी फैक्टरी में किसी भी प्रयोजन के लिए उपयोग किया जाता है। संग्रहित उपकर को चूना पत्थर और डोलोमाइट खानों में नियोजित व्यक्तियों के कल्याण का संवर्धन करने संबंधी क्रियाकलापों का वित्तपोषण करने के लिए उपयोग में लाया जाता है।

8. *Limestone and Dolomite Mines Labour Welfare Fund: -*

The Fund was constituted under the Limestone and Dolomite Mines Labour Welfare Fund Act, 1972 and rules framed there under, which provides for levy and collection of Cess on Limestone and Dolomite produced in any mines, is sold or otherwise disposed off to the occupier of any factory or used by mine owner himself in his own factory for any purpose. The cess collected is utilised for financing of activities to promote the welfare of persons employed in Limestone and Dolomite Mines.

वर्ष 2011-2012 के लिए निधि का लेखा निम्न प्रकार था:-

The Account of the Fund for 2011 – 2012 was as follows: -

(हजार रुपयों में)
(In thousands of rupees)

अथशेष	Opening Balance	64,24,72
प्राप्तियां	Receipts	5,20,86
अदायगियां	Payments	11,23,86
अंतशेष	Closing Balance	58,21,72

9. सिनेमा कामगार कल्याण निधि:-

9. Cine Workers Welfare Fund: -

यह निधि सिनेमा कर्मकार कल्याण निधि अधिनियम, 1981 और उसके अंतर्गत बनाए गए नियमों के अधीन गठित की गई थी, जिसमें उपकर के उद्ग्रहण तथा संग्रहण की व्यवस्था की गई है। संग्रहित उपकर का उपयोग सिनेमा कामगारों के कल्याणकारी उपायों के लिए किया जाता है।

The Fund was constituted under the Cine Workers Welfare Fund Act, 1981 and rules framed thereunder, which provides for levying and collection of Cess. Cess collected is utilised for the welfare measures of Cine Workers.

वर्ष 2011-2012 के लिए निधि का लेखा निम्न प्रकार था:-

The Account of the Fund for 2011 – 2012 was as follows: -

(हजार रुपयों में)
(In thousands of rupees)

अथशेष	Opening Balance	1,13,94*
प्राप्तियां	Receipts	1,50,38
अदायगियां	Payments	1,43,99
अंतशेष	Closing Balance	1,20,33

* प्रारंभिक शेष वित्त लेखों के साथ समाधान किए जाने के कारण पिछले वर्ष के आंकड़ों से भिन्न है।

*Opening balance differs from last year's due to reconciliation with Finance Accounts.